कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 4447 भोपाल, दिनांक 12 जून 2016

प्रति,

वनमंडलाधिकारी, .
सामान्य वनमंडल भोपाल,

विषयः– **श्यामला हिल्स भोपाल स्थित जज इन्क्लेव से लगी भूमि पर न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास निर्माण हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 केतहत अनुमति बावत्।**

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./3915 दिनांक 14/06/2016 एवं आपका पत्र क /मा.चि./1620 दिनांक 30/06/2015

–0–

विषयान्तर्गत कार्यालयीन संदर्भित पत्र दिनांक 14/09/2016 द्वारा प्रकरण में चिन्हित कमियों/त्रुटियों की पूर्ति उपरान्त संशोधित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किये जाकर प्रस्ताव की हार्ड प्रति आपने पत्र क्रमांक/मा.चि./1620 दिनांक 30/06/2016 द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें निम्नानुसार त्रूटियां/कमियां अभी भी हैं।

1. निर्धारित प्रारूप भाग ।। अ.क्र. 2 में आपके द्वारा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र की वैधानिक स्थिति आरक्षित वन बताई गई है, जबकि, प्रकरण अन्तर्गत व्यवर्तन हेतु **राजस्व वनभूमि** प्रस्तावित हैं। कृपया सुधार करें।

2. निर्धारित प्रारूप भाग । अ.क्र. D के संबध में वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य (Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined) आपके द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण में प्रस्ताव तैयार करने हेतु लोक निर्माण विभाग को जारी अधिकार प्रमाण पत्र ऑन लाईन संलग्न किया गया हैं। जबकि, तत्संबंध में अन्य विकल्प के किये गये परीक्षण के सबंध में प्रतिवेदन संलग्न किया जाना चाहिये।

3. निर्धारित प्रारूप भाग । अ.क्र. L (iv) में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित वनभूमि के वर्तमान मालिक के स्थान पर **आवेदक संस्थान अंकित** किया गया हैं एवं Ownership proof के संबंध में कलेक्टर जिला भोपाल का पत्र क्र/1217/आर.एम./2015/एम.पी.एन. दिनांक 12/08/2015 ऑन लाईन संलग्न किया गया हैं। जिसमें कलेक्टर द्वारा व.म.अ. भोपाल को प्रश्नाधीन भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित की गई हैं। अर्थात उक्त भूमि का वर्तमान मालिक **कलेक्टर जिला भोपाल अथवा म.प्र. शासन राजस्व विभाग** हैं। कृपया सुधार करें।

4. निर्धारित प्रारूप भाग ।। अ.क्र. 13 (iv) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपये 62,74,125/– अंकित की गई हैं। जबकि, प्रस्तताव के साथ संलग्न वै.वृ.यो. राशि रूपये 57,03,750/– की हैं। कृपया परीक्षण कर सुधार करें। साथ तदानुसार संलग्न वै.वृ.यो. के निर्धारित प्रारूप भाग । अ.क्र. 12(1) एवं 12(2) में सुधार करें।

5. निर्धारित प्रारूप भाग ।। अ.क्र. 16 में आपके द्वारा व.स. अधिनियम 1980 के व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव के पुराने प्रारूप भाग।। ऑन लाईन संलग्न किये गये हैं। जबकि, उसके स्थान पर आपके द्वारा प्रकरण में की गई अनुशंसा का पत्र संलग्न किया जाना चाहियें।

6. आपके द्वारा किये स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन के अ.क्र. 2 में उल्लेखित व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अक्षांश देशांश प्रस्ताव में संलग्न Geo Referenced Map से मेल नही खाते हैं। परीक्षण कर सही जानकारी आंकित करें। दोनो स्थान पर एक ही जानकारी होना चाहिए।

अतः आपसे प्राप्त प्रस्ताव मुलतः वापिस कर लेख कि, उपरोक्तानुसार बिंदुओ एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि/कमियां हो तो, उसकी भी पूर्ति करते हुयें संशोधित प्रस्ताव ऑन लाईन तत्काल प्रस्तुत करे। साथ ही ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव की हार्ड प्रति भी उसी दिन मूल संलग्नको सहित भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्लनः– मूलतः प्रस्ताव

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4448 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

प्रतिलिपिः–अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू प्रबंध) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषितं।

2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

3. कार्यपालनयंत्री, लोक निर्माण विभाग संधारण क्रमांक–1 जवाहर चौक, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2016 .doc